



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1129]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2003/अग्रहायण 28, 1925

No. 1129]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 19, 2003/AGRAHAYANA 28, 1925

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2003

का.आ. 1441(अ).— केन्द्रीय सरकार ने निर्यात व्यापार का विकास के लिए शहद में, वेटरीनरी ड्रग्स, अन्य तत्वों, पर्यावरणीय और अन्य संदूषण के संबंध में अधिकतम अवशिष्ट सीमाओं (एमआरएल्स) के लिए कतिपय प्रस्ताव भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के आदेश सं० का.आ. 276 (अ) तारीख 4 मार्च, 2002 में संशोधन हेतु निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) के अधीन निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के आदेश सं० का.आ. 1036 (अ) तारीख 9 सितम्बर, 2003 को भारत के राजपत्र असाधारण भाग - 2, खंड - 3, उपखंड - (ii) के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे,

और इससे प्रभावित होने वाले उन सभी व्यक्तियों से इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे,

और उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनता को 10 सितम्बर 2003 को उपलब्ध करा दी गयी थी,

और उक्त प्रारूप पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया है

अतः, अब केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श करने के पश्चात् वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के सहव से संबंधित आदेश सं. 276(E) तारीख 4 मार्च, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है जो राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे, अर्थात्—

(1) उक्त आदेश में, परिशिष्ट में, खंड 1.8 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्—

1.8 वेटरीनरी ड्रग्स, और अन्य तत्वों, पर्यावरणीय और अन्य संदूषणों

सम्मिश्रण	इकाई	अधिकतम अवशिष्ट सीमाएं
(1) ड्रग्स		
स्ट्रेप्टोमाइसीन	पीपीबी	0.02
टेट्रासाइक्लीन	पीपीबी	15
क्लोरोफेनीकोल		अनुपस्थिति
सल्फोनामाइड		अनुपस्थिति
क्वीनोलोन		अनुपस्थिति
(2) ओरगनोक्लोरीन सम्मिश्रण		
कामाफोस (पेरीजीन)	पीपीबी	0.01
एमिट्राज	पीपीबी	0.01
एल्डीन-डाईल्डीन	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	0.02
क्लोरोथालोनिल	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	0.01
ओपी-डीडीडी	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	0.05
पीपी-डीडीडी	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	0.05
ओपी-डीडीई	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	0.05
पीपी-डीडीई	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	0.05
ओपी-डीडीटी	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	0.05
पीपी-डीडीटी	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	0.05
डाइकोफोल	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	0.05
डाइल्डीन	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	0.02
ए-एंडोसल्फान	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	0.01
एंडोसल्फानसल्फेट	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	0.005
लिडेन	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	0.005
गामाएचसीएच (सभी आइसोमर्स)	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	0.03
लिडेन	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	0.1
मेथोक्सीक्लो	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	0.01
पीसीबी	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	अनुपस्थिति

(3) ओरग्नोफास्फोरस सम्मिश्रण		
क्लोरोफेनविनफोस	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	0.005
क्लोप्रिफोस	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	0.005
क्लोप्रिफोस मैथाइल	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	0.005
छाइजिनोन	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	0.005
एथीओन	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	0.005
फोरमाथिओन	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	0.005
मैलाथिओन	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	0.005
फोसालोन	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	0.005
प्रिमीफोस	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	0.005
थाइमेटोन	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	0.005
फोरेट	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	0.05
प्रिमीफोस मैथाइल	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	0.05
(4) कार्बामेट्स	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	अनुपस्थिति
(5) पेरीथ्रोइड		
साइफलूथ्रीन	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	0.02
साइप्रोमेथ्रीन	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	0.05
डेल्टामेथ्रीन	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	0.05
पेरेमेथ्रीन	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	0.05
फेनवेलेरेट	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	0.02
फलूवालीनेट	मि. ग्रा./कि. ग्रा.	0.005
(6) भारी धातुएं		
शीशा	पीपीएम	2.0
तांबा	पीपीएम	30
अरसेनिक	पीपीएम	1.1
टीन	पीपीएम	250
जिंक	पीपीएम	50
केडमियम	पीपीएम	1.5
मरकरी	पीपीएम	1.0
सीएच 3 एचजी	पीपीएम	0.21

परन्तु यदि आयातकर्ता देशों द्वारा नियत की कई अधिकतम अवशिष्ट सीमा से अधिक सीमा इसमें विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक कठोर है तो आयातकर्ता देशों द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम अवशिष्ट सीमाओं का अनुपालन किया जाएगा।

(2) शहद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) (संशोधन) नियम, 2003 के अनुसार में क्वालिटी नियंत्रण के प्रकार को विनिर्दिष्ट करता है जो निर्यात से पूर्व ऐसे शहद पर क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग के प्रकार में लागू होगा।

[फा. सं. 6/3/2000-ईआई एंड ईपी]

एम.वि.पि.सि. शास्त्री, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल आदेश सं. का.आ. 276(अ) भारत के राजपत्र भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में 4 मार्च, 2002 में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 19th December, 2003

S.O. 1441(E).—Whereas, for the development of the export trade of India, certain proposals for amending the Order No. S.O. 276(E) dated 4th March, 2002 of the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, Government of India, relating to maximum residue limits (MRLs) for veterinary drugs, other substances, environmental and other contaminants in honey were published in Part II, section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 9th September, 2003 vide Order of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, number S.O. 1036(E), as required under sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 under the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

And, whereas, the objections and suggestions were invited from all the persons likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date of publication of the said Order in the Official Gazette;

And, whereas, the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on 10th September, 2003.

And, whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government after consulting the Export Inspection Council, hereby makes the following amendments in the Order No. S.O. 276(E) dated 4th March, 2002 of the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, Government of India, relating to honey which shall take effect on the date of its publication in the Official Gazette, namely:—

(1) In the said Order, in the Appendix, for clause 1.8, the following clause shall be substituted, namely:—

"1.8 Veterinary drugs, other substances, environmental and other contaminants.

Compounds	Unit	MRLs
(1) Drugs		
Streptomycin	ppb	0.02
Tetracycline	ppb	15
Chloramphenicol		Absent
Sulfonamide		Absent
Quinolones		Absent
(2) Organochlorine compounds		
Coumaphos (Perizin)	ppb	0.01
Amitraz	ppb	0.01
Aldrin- As per Dieldrin	mg/kg	0.02
Chlorothalonil	mg/kg	0.01
op- DDD	mg/kg	0.05
pp- DDD	mg/kg	0.05
op- DDE	mg/kg	0.05
pp- DDE	mg/kg	0.05
op- DDT	mg/kg	0.05
pp- DDT	mg/kg	0.05
Dicofol	mg/kg	0.05
Dieldrin	mg/kg	0.02
α- Endosulfan	mg/kg	0.1
Endosulfansulfate	mg/kg	0.005
Lindane	mg/kg	0.005
Gamma HCH (all isomers)	mg/kg	0.03

Methoxychlor	mg/kg	0.01
PCBs	mg/kg	Absent
(3) Organophosphorous compounds		
Chlorfenvinphos	mg/kg	0.005
Chlorpyrifos	mg/kg	0.005
Chlorpyrifos methyl	mg/kg	0.005
Diazinon	mg/kg	0.005
Ethion	mg/kg	0.005
Formothion	mg/kg	0.005
Malathion	mg/kg	0.005
Phosalone	mg/kg	0.005
Primiphos	mg/kg	0.005
Thiometon	mg/kg	0.005
Phorate	mg/kg	0.05
Primiphos methyl	mg/kg	0.05
(4) Carbamates	mg/kg	Absent
(5) Pyrethroid		
Cyfluthrin	mg/kg	0.02
Cypermethrin	mg/kg	0.05
Deltamethrin	mg/kg	0.05
Permethrin	mg/kg	0.05
Fenvelerate	mg/kg	0.02
Fluvalinate	mg/kg	0.005

(6) Heavy metals

Lead	ppm	2.0
Copper	ppm	30
Arsenic	ppm	1.1
Tin	ppm	250
Zinc	ppm	50
Cadmium	ppm	1.5
Mercury	ppm	1.0
CH ₃ Hg	ppm	0.21

Provided that if the MRLs fixed by the importing countries are more stringent than the above prescribed limits, the standards specified by those countries shall be complied with."

(2) Specifies the type of quality control and inspection in accordance with the export of Honey (Quality Control, Inspection and Monitoring) (Amendment) Rules, 2003 as the type of quality control, inspection and monitoring which shall be applied to such honey prior to export.

[F.No. 6/3/2000-EI&EP]

M.V.P.C. SASTRY, Jt. Secy.

Note:—The Principal Order was published *vide* No. S.O. 276(E) in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 4th March, 2002.